(iv) time gap in finalisation of the strategy for post PDP activities in consultation with all concerned agencies/establishments and the user;

Laser Range Finder for Artillery OP

(i) difficulty in import of certain components; and

(ii) change in system specification.

Laser Guidance Technology

(i) enhancement of scope of work in terms of system specification; and

(ii) Unforeseen problems in R&D work.

There has been no significant effect on our defence preparedness as these systems were proposed to meet futuristic defence requirments and Services had other options to meet operational requirements.

Co-ordination between DRDO and Armed Forces

3173. SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to an article which appeared in the Free Press Journal dated the 4th August, 1990 under the caption "Defence R and D entangled in bureaucratic Red Tape".

(b) if so, whether it is a fact that the desired level of coordination and dialogue between the DRDO and the Armed Forces, is lacking, with the result that the weapons/systems developed do not come up to the requirements/standards laid down by the Defence Forces;

(c) whether it is a fact that the system of bureaucratic rules and procedures which the DRDO follows contribute to delays as well as decision avoiding;

(d) whether the financial and accounting procedures followed by DRDO are dilatory, time-consuming and the initiative of the scientific talent employed in DRDO; and

(e) if so, what steps have been taken to improve the working of DRDO and its present administrative and financial systems to provide for a more realistic assessment of needs of development to frame time for development of various armaments and to provide greater flexibility to the system for faster decision making?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. RAZA RAMANNA): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) and (e) The financial and accounting procedures followed by DRDO facilitate timely decisions and efficient working. Required authority and financial powers have been delegated to various laboratories and work centres. For major development projects innovative management structures have been evolved and implemented to cut down decisional delays, promote participative decision making and to encourage closer interaction betwween development agency, user Service and the production agency. The delegation of powers, procurement and financial procedures, and project sanctioning mechanisms are reviewed from time to time as an ongoing continuous process.

सेवा निवृत्त रक्षा कार्मिकों के लिए रोजगार का आरक्षण

3174. श्री रामजेठमलानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा सैनिकों के विभिन्न पक्षों से लगभग, 47,000 व्यक्ति सेवा निवृत्त होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने उनके फिर से रोजगार के लिए कुछ आरक्षण का प्रावधान किया ई ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार प्रति वर्ष इस आरक्षण व्यावस्था के अधीन

इन सेवानिवृत कार्मिकों को रोजगार देती है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध आरक्षित पदों की संख्या कितनी है, कितने प्रतिशत पद भरे गये और चालू वर्ष में इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि किये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (ग) जी, हां ।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के विभागों में समूह 'ग' और "घ" में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों (रक्षा सुरक्षा कोर सहित जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए 100% आरक्षण है और उन्हें नियुक्त किया जाता है) और इन पर नियुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिकों की संख्या इस प्रकार है –

वर्ष	जिन्हें रोजगार पर लगाया गया है आरक्षित	अनुमानित प्रतिशतता पदों की संख्या
1987	1655	6483
1988	3054	7481
1989	1947	4761
		25
		40
		42

आरक्षित रिक्तियों पर भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त करने की स्थिति में सुधार लाने के लिए सभी संभावित प्रयास किए जा रहे हैं, परन्तु इस वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी, यह बताना संभव नहीं है ।

वैज्ञानिक/पर्यावरण संगठनों द्वारा परमाणु विद्युत केन्द्रों के विरुद्ध अध्यादेश

3175. श्री मेन्ते पद्मनाथ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के वैज्ञानिकों तथा पर्यावरण संगठनों द्वारा परमाणु विद्युत केन्द्रों के विरुद्ध दिये गये अभ्यावेदनों पर विचार करती है ;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में केरल में एक वैज्ञानिक मेथा परमाणु ऊर्जा आयोग के बीच उत्पन्न विवाद का ब्यौरा क्या है ;

(ग) परमाणु विद्युत केन्द्र की स्थापना के विरुद्ध उक्त वैज्ञानिक ने क्या-क्या आपत्तियां उठाई थीं ;

(घ) इस मामले में परमाणु ऊर्जा आयोग का क्या मत है ;

(ङ) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने कभी किसी समय उस से जो सरकार से बाहर हैं की आपत्तियों और मतों से तथा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों द्वारा उठाई गई किन्हीं आपत्तियों और मतों से सहमति प्रकट की है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां

(ख) से (घ) परमाणु ऊर्जा आयोग को केरल में परमाणु बिजलीघर लगाने अथवा लगाने के बारे में वैज्ञानिक और पर्यावरण वेत्ता वर्गों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं । जिस मामले का जिक्र किया गया है उसका संबंध केरल सरकार के एक वैज्ञानिक द्वारा सार्वजनिक रूप से व्याप्त मत के बारे में केरल सरकार से है ।

(ङ) और (च) परमाणु बिजली से संबंधी कार्यक्रम के संबंध में सरकार से और परमाणु ऊर्जा संस्थापन के बाहर के व्यक्तियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों और व्यक्त मतों की ओर उचित ध्यान दिया जाता है । परमाणु